निर्णय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

पीठासीन अधिकारी :— जवाहरलाल जैन (आर. ए. एस.)

प्रकरण सं0 33 / 14

निर्णय दिनांक 01.3.2021

किशोरलाल पिता शंकरलाल जाट नि. गलजी का खेड़ा तह0 भदेसर

— वादी

।। बनाम ।।

1— छोगालाल पिता किशना जाति जाट नि. गलजी का खेडा तह0 भदेसर
2— उदयलाल मु. घासी जाति जाट नि. गलजी का खेडा तह0 भदेसर
3— भेरूलाल पिता गोकल जाति जाट नि. गलजी का खेडा तह0 भदेसर
4— हजारीलाल पिता गोकल जाति जाट नि. गलजी का खेडा तह0 भदेसर
5— रामलाल पिता गोकल जाति जाट नि. गलजी का खेडा तह0 भदेसर
6— तहसीलदार बडीसादडी

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर0टी0ए0

।। निर्णय ।।

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि

1— वादी किशोरलाल तथा प्रतिवादी उदयलाल जाट ने राजीनामा प्रस्तुत किया । राजीनामा में अंकित किया गया कि ग्राम पुनावली की जमाबदी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 22, 34, 35, 38, की खातेदारी वर्तमान में घासी, किशना, शंकर, गोकल पिता वरदा जाट के नाम पर शामलाति दर्ज रिकार्ड है तथा प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। इन चारो खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है। खातेदारो का पारिवारीक सजरा भी राजीनामें में अंकित किया गया जिसके अनुसार वरदा के चार पुत्र क्रमशः घासी, किशना, शंकर, गोकल बताते हुए घासी के गोदीपुत्र उदयलाल, किशना के दो पुत्र छोगालाल व उदयलाल जिसमें से उदयलाल, घासी के गोद चला गया । शंकर के किशोरलाल, फेफा, हगामी व जमना एवं गोकल के भेरूलाल, हजारी व रामलाल अंकित करते हुए सजरा प्रस्तुत किया गया । राजीनामा अनुसार वर्तमान में उदयलाल व छोगालाल का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा । किशोर, फेफा, हगामी व जमना का शामलाती 1/4 हिस्सा तथा भेरूलाल, हजारी, रामलाल का शामलाती 1/4 हिस्सा है। वादपत्र में किशोर के साथ किशोर की बहनों (फेफा, हगामी व जमना) को नहीं दर्शाया गया है जिसे प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में अंकित किया है।

2— प्रतिवादी उदयलाल ने अपना 1/4 हिस्सा किशोरलाल को देना तय किया क्योंकि बटवारें में उदयलाल को वादग्रस्त आराजी के बज[illegible] को खेडा में आराजी मिल गयी है।

3— वादी किशोरलाल के द्वारा प्रतिवादी [illegible] भेरूलाल, हजारीलाल व रामलाल के हिस्से की आराजी बाबत कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए उनके हिस्से [illegible] आराजी में कोई हिस्सा नहीं चाहा गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Lal Jain
Date: 2021.04.01 18:09:45 IST
Reason: SelfAttested

4– प्रतिवादी उदयलाल के द्वारा वादी किशोरलाल के पक्ष में दिनांक 21.05.2020 को निष्पादित एवं नोटरी द्वारा सत्यापित इकरार नामा में भी पेश किया जो राजीनामा का भाग रहेगा ।

अतः राजीनामा अनुसार ग्राम पुनावली की आराजी खसरा नम्बर 22 रकबा 0.7400 हैक्ट. आ.नं. 34 रकबा 0.1400 हैक्ट., आ.नं. 35 रकबा 0.1000 हैक्ट. तथा आ.नं. 38 रकबा 0.2100 हैक्ट. में वादी किशारलाल का 1/4 हिस्सा एवं फेफा, हगामी, जमना व किशोरलाल का इन्ही आराजीयात में विरासत से संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा पृथक से घोषित करते हुए इसी अनुसार खातेदारी में दर्ज करने की डिक्री पारित करने की प्रार्थना की ।

वादी किशोरलाल को अधिवक्ता विजयसिंह राठौड़ ने पहचान के हस्ताक्षर किये तथा प्रतिवादी उदयलाल की ओर से अधिवक्ता शंकरलाल सालवी ने वकालात नामा पेश करते हुए पहचान के हस्ताक्षर किये। राजीनामा पक्षकारो को पढ कर सुनाया–समझाया गया जिसे पक्षकारों ने सही अंकित होना स्वीकार किया तथा राजीनामा तस्दीक किया गया । वादी की ओर से अधिवक्ता ने जाहीर किया कि वादी प्रकरण में धारा 53 के अन्तर्गत बटवाड़े का अनुतोष नहीं चाहता है।

मुताबिक राजीनामा ग्राम पुनावली की आराजी नम्बर 22 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 34 रकबा 0.1400 हैक्टेयर ,आ.नं. 35 रकबा 0.1000 है., आ.नं. 38 रकबा 0. 2100 हैक्ट. में वादी किशोरलाल व उसकी बहनें फेफा, हगामी व जमना का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, उदयलाल का 1/4 हिस्सा, छोगालाल का 1/4 हिस्सा तथा भेरूलाल, हजारीलाल व रामलाल का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी उदयलाल ने वादी से राजीनामा करते हुए अपना 1/4 हिस्सा वादी किशोरलाल को दे दिया। इसलिए उदयलाल का हिस्सा उस आराजीयात समाप्त करते हुए कि किशोरलाल क नाम घोषित करते हुए रिकोर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। नियमानुसार डिक्री पर्चा मुर्तीब हो। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष होना प्रतीत नहीं होता है अतः प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.3.2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर

(जवाहरलाल जैन)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Lal Jain
Date: 2021.04.01 18:09:45 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री जवाहरलाल जैन आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 33/14 वादपत्र धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट. 1955

किशोरलाल पिता शंकरलाल जाट नि. गलजी का खेड़ा तह0 भदेसर

– वादी

।। बनाम ।।

1– छोगालाल पिता किशना जाति जाट नि. गलजी का खेडा तह0 भदेसर
2– उदयलाल मु. घासी जाति जाट नि. गलजी का खेडा तह0 भदेसर
3– भेरूलाल पिता गोकल जाति जाट नि. गलजी का खेडा तह0 भदेसर
4– हजारीलाल पिता गोकल जाति जाट नि. गलजी का खेडा तह0 भदेसर
5– रामलाल पिता गोकल जाति जाट नि. गलजी का खेडा तह0 भदेसर
6– तहसीलदार बडीसादडी

– प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील वी.एस. राठौड. और प्रतिवादी की ओर से वकील एस.एल. सालवी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा पुनावली की आराजी नम्बर 22 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 34 रकबा 0.1400 हैक्टेयर ,आ.नं. 35 रकबा 0.1000 है., आ.नं. 38 रकबा 0.2100 हैक्ट. में वादी किशोरलाल व उसकी बहनें फेफा, हगामी व जमना का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, उदयलाल का 1/4 हिस्सा, छोगालाल का 1/4 हिस्सा तथा भेरूलाल, हजारीलाल व रामलाल का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी उदयलाल ने वादी से राजीनामा करते हुए अपना 1/4 हिस्सा वादी किशोरलाल को दे दिया। इसलिए उदयलाल का हिस्सा उस आराजीयात समाप्त करते हुए कि किशोरलाल क नाम घोषित करते हुए रिकोर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

इस वाद के खर्चे......×... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित...×... को दी जावे।

यह आज दिनांक.....01.3.2021.....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(जवाहरलाल जैन)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2021/32 दिनांक : 01.3.2021

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को [illegible] कर [illegible] है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावे।

(जवाहरलाल जैन)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Lal Jain
Date: 2021.04.01 18:09:45 IST
Reason: SelfAttested